संचिका संख्या : 4318/16

दिनांक : 20.06.2022

प्रस्तुत संचिका आवेदिका से प्राप्त आवेदन जिसके द्वारा उन्होंने उनके नाबालिग पुत्री खुशबी कुमारी को अभियुक्तों के द्वारा अपहरण कर जान से मार देने या कहीं बेच देने और अभियुक्तों की ओर से केस उठाने की धमकी देने, तथा अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए दाखिल किया गया था।

पूर्व में आरक्षी अधीक्षक गोपालगंज का प्रतिवेदन तथा अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत इस संचिका को आरक्षी अपर महानिदेशक एवं निबंधक राज्य आयोग के संयुक्त समिति बनाते हुए विस्तृत जांच हेतु भेजा गया था।

संयुक्त समिति का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, (पृष्ठ187–189/प0) जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि संयुक्त जॉच समिति ने उपलब्ध सभी कागजातों , तत्कालीन थानाध्यक्ष मीरगंज पुलिस अधीक्षक गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन और आवेदिका को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची हैः–

'' उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आवेदिका द्वारा दर्ज किये गये मीरगंज थाना कांड संख्या 82/16 उनकी लड़की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने अपहृता को उसी कांड में आधार बनाकर पुनः भागे हुए अपने पुत्री के बरामदगी एवं अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु अनुरोध किया गया, जबकि वैधानिक रुप से एक कांड में अभियुक्तों के विरुद्ध बारम्बार कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है। परिवादिनी पुनः घर से भागी अपनी पुत्री की बरामदगी एवं अन्य विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुए नये सिरे से कांड दर्ज कराने हेतु स्वतंत्र है।''

संचिका में उपलब्ध कागजातों एवं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदिका के द्वारा दाखिल किये गये मिरपुर थाना कांड संख्या 82/16 दिनांक 06.04.2016 के अंतर्गत धारा– 363/366ए/12बी/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(10) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अपहृता के बरामदगी कराई गई थी और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया था। घटना के समय अपहृता के उम्र परीक्षण करने पर 16–17 वर्ष पाया गया यह भी स्पष्ट

होता है कि पुनः अपहृता दिनांक 05.06.16 को अपनी मर्जी से शौच का बहाना बनाकर भाग गई ओर स्वेच्छा से दिनांक 04.09.2016 को थाना पर आई जिसके उपरांत उसे अपहृता को सुर्पुद कर दिया गया। परन्तु पुनः दिनांक 14.09.2016 को अपहृता आवेदिका के साथ मीरगंज बाजार गई थी। जहां से भाग गई। इन उपरोक्त बातों का उल्लेख थानाध्यक्ष मीरगंज के द्वारा भी संयुक्त जांच समिति के सामने दिये गये बयान में की गई है और थानाध्यक्ष मीरगंज पु0अ0नि0 छोटन राम के द्वारा भी बताया गयाा कि वर्तमान में खुशबु कुमारी अभियुक्त धनंजय सोनी के साथ भागी थी और बैंगलोर, (कर्नाटक) में रह रही थी विवाह कर साथ रहने से संबंधित फोटो की फोटोकॉपी प्रति उपलब्ध कराई गई, परन्तु आवेदिका के द्वारा खुशबु कुमारी द्वारा पुनः घर से भाग जाने के संबंध में मीरगंज थाना में कोई कांड दर्ज नहीं कराया गया है। जबकि आवेदिका के द्वारा जांच समिति के समक्ष यह कहा गया है कि अभियुक्त अभी तक फरार है और उनकी पुत्री खुशबु कुमारी एवं अभियुक्त धनंजय सोनी से 5—7 वर्ष से कोई सम्पर्क नहीं हुआ है। धनंजय सोनी के विरुद्ध आरोप—पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्त के विरुद्ध पुरक आरोप—पत्र समर्पित किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मीरगंज थाना कांड संख्या—82/16 में जो आवेदिका के द्वारा उनकी लड़की के अपहरण के संबंध में दायर किया गया था। अपहृता के बरामदगी के संबंध में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया बयान और चिकित्सीय जांच के उपरांत उसे आवेदिका को सौंप दिया गया था। परन्तु अपहृता पुनः भाग गई और इस संबंध में आवेदिका के द्वारा कोई भी कांड नहीं दर्ज कराया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चूंकि मीरगंज थाना कांड सेख्या 82/16 अनुसंधान पूर्ण हो चुका है अतः राज्य आयोग इस संबंध में आगे की कार्रवाई बंद करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson